FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

धौली वगैरह बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 46 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री प्रीतम चन्द सैनी द्वारा वास्ते पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 31.07.2025 को पेश हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** मण्डावर (दौसा)	
31.7.25	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली मुल्तवीशुदा दिनांक 05.8.25 को पेश हो। [initials]	
05.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया। उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा.पत्र हेतु निवेदन किया प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधि. 1956 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
46/2025	24.06.2025	05.08.2025

बउनवान

1. धोली पत्नी हरीराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. रामनिवास पुत्र उमराव, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री प्रीतम चन्द सैनी।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा सं. 2205 रकबा 0.58 हैक्टे. वाके ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थी की कब्जा काश्त मौजूद है। प्रमाण स्वरूप राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2024 को किया जा चुका है। प्रार्थी रामनिवास सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी है जो कि अपने परिवार के साथ जयपुर में निवास करता है तथा कभी कभार छुट्टी मिलने पर अपनी खातेदारी की भूमि की देखभाल करने के लिये गांव हिंगोटा तहसील बैजूपाडा में आता है एवं प्रार्थिया भोली देवी भी अपने पति हरिराम के राजकीय सेवा में होने के कारण उनके साथ जयपुर में निवास करती है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आवारा पशुओं से अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थरगढी करवाना चाहते हैं एवं उसके पश्चात प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर तारबन्दी करना चाहते हैं। अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा करना प्रार्थीगण का कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 2205 रकबा 0.58 हैक्टे. की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से करवाये जाने के आदेश तहसीलदार बैजूपाडा को प्रदान करें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथीगण को जर्ये नोटिस तामिल करवाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 2205, रकबा 0.58 हैक्टे. भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उक्त आराजी का दिनांक 24.06.2024 को तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है।

4. प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 2205, रकबा 0.58 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा सं. की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में विधिवत वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 05.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)